

**PRAMOD DANGI**  
**RESEARCH SCHOLAR**  
**DEPTT. OF POLITICAL SCIENCE**  
**RADHA GOVIND UNIVERSITY, RAMGARH, JHARKHAND**

**SUPERVISOR**  
**DR. MANOJ KUMAR**  
**DEPTT. OF POLITICAL SCIENCE**  
**RADHA GOVIND UNIVERSITY, RAMGARH, JHARKHAND**

## एक स्वतन्त्र पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक निर्वाचन में जनता की सहभागिता

### सार

एक स्वच्छ एवं स्वतन्त्र पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक निर्वाचन में जनता की सहभागिता पर तीन तत्त्वों के व्यवहार का बहुत प्रभाव पड़ता है जो मिलकर त्रिकोण बनाते हैं, ये हैं—निर्वाचन मशीनरी, राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी तथा निर्वाचकगण। एक निर्वाचन मशीनरी को इतना योग्य होना चाहिए कि वह इन दूसरे तत्त्वों में विश्वास पैदा कर सके, जैसे—निर्वाचन की व्यवस्था एवं उसका निदेशन बाह्य दबाव और प्रभाव से मुक्त हो, का निर्वाचक गण एवं अभ्यर्थियों तथा राजनीतिक दलों में विश्वास हो। संसदीय शासन की कला का आधार ही व्यस्क मताधिकार पर आधारित स्वच्छ, स्वतंत्र एवं नियतकालिक निर्वाचन है। सरकार द्वारा अपने हितों के लिए निर्वाचन को प्रभावित करने की क्षमता किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए। शायद इसे ही ध्यान में रखकर भारतीय संविधान

निर्माताओं ने एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की। इतना ही नहीं उन्होंने 'निर्वाचन' नामक पृथक् अध्याय को ही संविधान में जोड़ दिया। इस प्रकार, भारतीय संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जो स्वच्छ व स्वतंत्र निर्वाचन को बनाने तथा बनाए रखने के लिए 'निर्वाचन' को संविधान में पृथक् स्थान प्रदान करता है ताकि भारत में लोकतंत्र का रक्त संचारण होता रहे। प्रस्तुत अध्याय में निर्वाचन आयोग के संरचनात्मक—प्रकार्यात्मक स्वरूप को प्रतिबिम्बित करने का प्रयास किया गया है। इसके अन्तर्गत निर्वाचन आयोग के शीर्षस्थ संगठन से लेकर निर्वाचन क्षेत्र तक के सांगठनिक एवं प्रकार्यात्मक स्वरूप पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

### (1) निर्वाचन आयोग :—

संविधान के भाग 15 में 'निर्वाचन' नामक भाग में निर्वाचन से सम्बन्धित अनुच्छेद 324—329 का उल्लेख किया गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में यह प्रावधान किया गया है कि निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

अनुच्छेद 325 धर्म, मूलवंश जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किये जाने के लिए अपात्र न होना उसके द्वारा

किसी विशेष निर्वाचन नामावली में समिलित किए जाने का दावा न किया जाना।

अनुच्छेद 326 लोकसभा व राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का व्यस्क मताधिकार के आधार पर होगा।

अनुच्छेद 327 विधानमण्डलों के लिए निर्वाचनों के सम्बन्ध उपबंध करने की संसद की शक्ति।

अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमण्डल के निर्वाचनों के सम्बन्ध में उपबंध करने की उस विधानमण्डल की शक्ति।

अनुच्छेद 329 निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन।

अनुच्छेद 324(2) के उपबन्धों के अंतर्गत राष्ट्रपति ने पहली बार 1 अक्टूबर, 1993 को अध्यादेश जारी कर निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाने हेतु दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों श्री जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति एवं श्री एम.एस. गिल को अतिरिक्त आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। उक्त अध्यादेश द्वारा राष्ट्रपति ने दोनों निर्वाचन आयुक्तों को सेवा शर्तों से सम्बन्धित कानून में संशोधन करके मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान अधिकार प्रदान किया। इसके तहत

किसी मामले के सम्बन्ध में मतभेद की स्थिति होने पर बहुमत के आधार पर फैसला करने का प्रावधान था।

किन्तु इस अध्यादेश को मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री टी.एन. शेषन ने उच्चतम न्यायालय में 27 अक्टूबर को तीनों निर्वाचन आयुक्तों को समान दर्जा देने सम्बन्धी प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुकूल नहीं होने के आधार पर चुनौती दी एवं इसे असंवैधानिक घोषित कर रद्द करने की माँग की गई, जिनके द्वारा श्री गिल तथा कृष्णामूर्ति को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया।

उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री पी.वी. सावंत तथा न्यायमूर्ति श्री योगेश्वर दयाल की खण्डपीठ ने 15 नवम्बर, 1993 को एक अंतरिम फैसला सुनाया कि तत्काल कानूनी वैधता के समूचे पहलू पर विचार करना संभव नहीं है तथापि निर्वाचन आयोग का पूरा और समग्र नियंत्रण मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधीन रहेगा। आयोग के कर्मचारियों आर अन्य सम्बद्ध एजेंसियों को निर्देश जारी करने का एकमात्र अधिकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त का होगा।

इसके उपरांत सरकार ने दिसम्बर, 1993 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 1993 संसद में पेश किया जो 20 दिसम्बर, 1993 को राज्य सभा द्वारा पास कर दिये जाने के साथ ही

मंजूर हो गया। इस विधेयक को विधि राज्यमंत्री श्री हंसराज भारद्वाज ने गोस्वामी समिति की सिफारिश के अनुकूल बताया। 4 अप्रैल, 1994 को इसने अध्यादेश का स्थान ले लिया। 14 जुलाई, 1995 को उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यों की खण्डपोठ (अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश श्री अहमदी द्वारा) ने सर्वसम्मति से राष्ट्रपति के निर्वाचन आयुक्तों—श्री गिल और श्री कृष्णामूर्ति के नियुक्ति सम्बन्धी उक्त अध्यादेश को वैध करार दिया।

## (2) पदावधि और सेवा शर्तें :—

मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि और सेवा शर्तों के विषय में अनुच्छेद 324 में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 324(5) यह प्रावधान तो करता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त उसी रीति और उन्हीं कारणों से हटाया जाएगा, जिस रीति और कारणों से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जायेगा, किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं लिया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल भी उतना ही होगा, जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का होता है।

उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक कार्यशील रहता है, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि, संसदीय विधि के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा नियम बनाकर निश्चित की जानी थी। 1972

तक इस सम्बन्ध में कोई नियम निर्मित नहीं किया गया था, अतः दो पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुकुमार सेन एवं श्री के.वी.के. सुन्दरम्, प्रारम्भ में 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए थे, लगभग 8 वर्ष तक पदासीन रहे थे।

1972 में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों के पश्चात्, अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त 65 वर्ष की आयु होने या 6 वर्ष की सेवा पूरी होने तक, जो भी पहले हो, पदासीन रहेंगे।

अन्य आयुक्त एवं प्रादेशिक आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संतुति के बिना नहीं हटाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों के हटाए जाने की प्रक्रिया जाने की प्रक्रिया में यह अन्तर सम्भवतः अन्य आयुक्तों की अस्थाई नियुक्तियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस प्रक्रिया द्वारा अन्य आयुक्तों की स्थिति मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधीन कर दी गई है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों के वेतन एवं अन्य सेवा शर्तों के विषय में भी संविधान यह व्यवस्था करता है कि इनका निर्धारण राष्ट्रपति नियम बनाकर करेंगे। यद्यपि संविधान यह प्रत्याभूत करता है कि नियुक्ति के पश्चात् उसकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस

प्रत्याभूमि के अतिरिक्त, संविधान या संसदीय विधि द्वारा इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

(3) कार्मिक व्यवस्था एवं व्ययः—

निर्वाचन आयोग, जिसे देश के सभी महत्वपूर्ण निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन एवं नियन्त्रण की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जो इन प्रयोजनों के लिए अथवा स्वयं के स्थायी सचिवालय के लिए स्थायी कार्मिकों के विषय में संविधान द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि अपने सांविधानिक दायित्वों के लिए अथवा अपने स्थायी सचिवालय के कार्य संचालन हेतु आवश्यक कार्मिकों की पूर्ति एवं नियुक्ति की शक्ति भी निर्वाचन आयोग को नहीं दी गई है।

संसद के दोनों सदनों, संघीय लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो शक्तियाँ संविधान द्वारा अपने कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में प्रदान की गई हैं, उन शक्तियों से निर्वाचन आयोग को वंचित रखा गया है।

संविधान में यह व्यवस्था है कि संसद के प्रत्येक सदन का अपना पृथक् सचिवीय कर्मचारी वर्ग होगा तथा संसद विधि द्वारा इन कर्मचारियों की भर्ती एवं नियुक्ति सम्बन्धी सेवा शर्तों का विनियमन कर सकेगी। संविधान संघोय लोक

सेवा आयोग तथा राज्यों के लोक सेवा आयोगों के लिए पृथक् कर्मचारीवर्ग की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। संघीय लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग के प्रशासन व्यय भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर भारित माने गए हैं। इसी प्रकार, उच्चतम न्यायालय को अपने पदाधिकारी व सेवक नियुक्त करने या निदेशित करने का अधिकार दिया। मुख्य न्यायाधीश को संसद द्वारा निर्मित उपबन्धों के अधीन पदाधिकारियों व सेवकों की सेवा शर्तें निश्चित करने का भी अधिकार प्रदान किया गया एवं उनका प्रशासन व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होगा। इसी भाँति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन समस्त सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों के विषय में राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श के बाद नियम बनाने का उल्लेख है एवं उनका प्रशासन व्यय भी भारत की संचित निधि पर भारित माना गया है।

किन्तु संविधान, निर्वाचन आयोग के कार्मिकों के चयन, नियुक्ति, सेवा शर्तों और आयोग के प्रशासन व्यय के विषय में आश्चर्यजनक रूप से मौन है। फलस्वरूप निर्वाचन आयोगों को कार्मिकों की व्यवस्था व अपने प्रशासनिक व्यय के लिए भारत सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। आयोग की सरकार पर निर्भरता उसकी निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

#### (4) निर्वाचन आयोगः अधिकार एवं कार्यः—

निर्वाचन आयोग के अधिकारों एवं कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 324 में निहित है। अनुच्छेद 324(1) में निर्वाचन आयोग को सभी महत्वपूर्ण निर्वाचनों के आयोजन एवं अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण का दायित्व प्रदान किया गया है। ‘अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण’ शब्द निर्वाचन आयोग के व्यापक उत्तरदायित्वों एवं विस्तृत अधिकारों को इंगित करता है जिसे उच्चतम न्यायालय ने भी ‘मोहिन्दर सिंह गिल बनाम निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य’ के विवाद में स्वीकार किया है। इसी प्रकार का निर्णय सादिक अली एवं अन्य बनाम भारत का निर्वाचन आयोग तथा मुहम्मद युनुस बनाम शिवकुमार शाही में दिया गया है। संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त ‘जन—प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951’, ‘राष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952’, ‘केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार अधिनियम 1963’, ‘दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1966’, ‘केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार अधिनियम 1963’, ‘दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1966’ तथा संसद द्वारा बनाए गए अन्य नियम एवं राष्ट्रपतीय आदेशों के द्वारा निर्वाचन आयोग को अपने दायित्वों का निर्वाह करने हेतु अधिकार एवं शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन से लेकर मतगणना और परिणाम की घोषणा तक समस्त निर्वाचन प्रक्रियाओं का विधिसम्मत निर्वहन आयोग का वैधानिक दायित्व है।

आयोग के मुख्य कार्यों एवं अधिकारों को व्यवस्थित रूप से, निम्नलिखित रूप से परिलक्षित किया जा सकता है:—

- निर्वाचन आयोग, प्रत्येक राज्य में निर्वाचन विभाग के शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में राज्य सरकार के ही एक वरिष्ठ अधिकारी को, राज्य सरकार से परामर्श करके मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर नियुक्त करेगा। इन अधिकारियों के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण का कार्य निर्वाचन आयोग के अधीन होगा।
- निर्वाचन आयोग को संसद एवं विधान मण्डल के दोनों सदनों के वर्तमान सदस्यों के अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्नों को निपटाने के अधिकार हैं।
- लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए संविधान के अन्तर्गत आरक्षित, निर्वाचित क्षेत्रों का निर्धारण भी आयोग करता है।

- निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता देता, उन्हें प्रतीकों एवं झण्डां का आवंटन करता है। इन मामलों में किसी भी विवाद पर निर्वाचन आयोग का निर्णय मान्य होता है।
- आयोग कार्यपालिका को निर्वाचन सम्बन्धी सांविधानिक प्रावधानों एवं निर्वाचन सम्बन्धी कानूनों एवं आदेशों को पूर्ण करने अथवा उनके पालन हेतु निर्देश दे सकता है।
- आयोग द्वारा दिए गए निर्देश विधि के अंग होते हैं एवं उनका क्रियान्वयन बाध्य भी हो सकता है। स्वच्छ एवं स्वतन्त्र निर्वाचन हेतु आयोग को वैधानिक प्रावधानों के अभाव में पूरक नियमों के निर्माण का अधिकार है।
- आयोग को अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले कानून की व्याख्या का भी अधिकार है। आयोग्यता के संदर्भ में, आयोग को अंतिम रूप से कानून की व्याख्या करके जाँच का अधिकार है, चाहे कोई व्यक्ति या संसद सदस्य या विधान मण्डल का सदस्य आयोग्यता को अपने ऊपर लेता है। इस संदर्भ में आयोग को व्यापक न्यायिक अधिकार प्रदान करता है।

- आयोग निर्वाचन हेतु निर्धारित किए गए व्यक्तियों, सामान्य या पुलिस के स्थानांतरण पर रोक लगाता है। आयोग की परामर्श एवं स्वीकृति के बिना उन्हें अधिकारीगण स्थानान्तरित नहीं कर सकते हैं।
- निर्वाचन के दौरान केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को कानून एवं व्यवस्था सम्बन्धी स्थिति की रोजमर्रा सूचना आयोग को देनी होती है।

#### (5) निर्वाचन आयोग एवं राष्ट्रपति-राज्यपाल :—

राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है एवं समय-समय पर अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त करने का निश्चय करता है। एक बार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति उसे अपने सामान्य तरीके से पदच्युत नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें एवं अवधि निर्धारित करता है तथापि राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग पर प्रत्यक्ष रूप से नियन्त्रण नहीं रहता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल से सीधे सम्पर्क कर सकता है। कुछ स्थिति में संसद द्वारा निर्मित कानूनों में निर्वाचन आयोग एवं राष्ट्रपति के एक साथ कार्य करने का प्रावधान भी है।

निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण का कार्य करता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी सदस्य की अयोग्यता निश्चित करने से पूर्व निर्वाचन आयोग से इस प्रश्न पर राय लेता है। राष्ट्रपति आम निर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी करता है। वह निर्वाचन तिथियाँ निर्वाचन आयोग को सिफारिश पर निर्धारित करता है। यही स्थिति राज्यपाल की है। संसद और विधानमण्डल उप-निर्वाचनों की अधिसूचना निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है। कुछ अन्य मुददों पर भी राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श से ही आदेश जारी करता है।

आम निर्वाचनों के बाद निर्वाचन आयोग की प्रति राष्ट्रपति को भेंट करता है और इसके उपरान्त राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल सरकार निर्माण के संदर्भ में औपचारिक कदम उठा सकता है।

#### (6) निर्वाचन आयोग तथा संसद :—

राष्ट्रपति की भाँति, निर्वाचन आयोग के कार्यों पर संसद का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है तथापि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग संसदीय नियंत्रण से पूर्णतया स्वतन्त्र है। संसद आयोग के व्यय हेतु बजट पर मतदान भी करती है। संसद उच्चतम न्यायालय के कार्यों एवं निर्णयों पर विचार करने की भाँति ही आयोग के कार्यों एवं निर्णयों पर विचार कर सकती है।

प्रश्न, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव अथवा विचारों एवं प्रस्तावों पर वाद—विवाद के द्वारा भी संसद आयोग पर अप्रत्यक्ष रूप से नियन्त्रण करती है। आयोग द्वारा प्राप्त सूचना—सामग्री के आधार पर कुछ परिस्थितियों में विधि मंत्रालय संसद में अपना उत्तर भी देता है।

राष्ट्रपति संसद द्वारा भी निर्मित नियमों के आधार पर ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सेवा शर्तों एवं पदावधि के बारे में कार्य करता है। संसद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकती है। संसदीय अथवा विधानमण्डलीय निर्वाचनों हेतु संसद ही समय—समय पर आवश्यक कानूनों एवं नियमों का निर्माण करती है।

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अच्यर, एस.पी. तथा श्रीनिवासन, आर: स्टडीज इन इण्डियन डेमोक्रेसी, बम्बई, एलाईड पब्लिशर्स, 1965.
2. अली, सबीक : ए सर्वे ऑफ दी जनरल इलेक्शन्स, 1957, नई दिल्ली, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, 1959

3. भल्ला, आर.पी. : इलेक्शन्स इन इण्डिया, दिल्ली, एस. चॉद एण्ड कम्पनी,  
1972
4. ज्वाइन्ट प्रेस रिलीज एट द कन्कल्यूजन ऑफ द फर्स्ट सार्क समिट (ढांका), 8  
दिसम्बर, 1985
5. बंगलौर डिक्लेरेशन, (सैकण्ड समिट) ऑफ हैड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेन्ट (बंगलौर),  
16—17 नवम्बर 1986.
6. ज्वाइन्ट प्रेस रिलीज एट द कन्कल्यूजन ऑफ द सैकण्ड सार्क समिट (बंगलौर), 17  
नवम्बर 1986
7. भवगती, जगदीश एन. तथा अन्य : इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन दी इण्डियन  
स्टेट्स, दिल्ली, मनोहर, 1975
8. भण्डारी, के : इण्डियाज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, दी इलेक्शन्स आर. कारवेज, नई  
दिल्ली, 1988
9. चतुर्वेदी, आर.जी.: स्टेट एण्ड राइट्स ऑफ मैन, दिल्ली, मैट्रोपोलिटन, 1971